

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ क नियम १२६)

आदेश पत्रक -ता०

जिला

केस का प्रकार

विवाद

केस नं०

१५७ / ११-१९

मन १६

तक


आदेश की क्रम सं०
और तारीख


आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित

श्री अमजद अंसारी पिता इमीद मिर्जा
ब्राम - छोसे थाना - देवरी द्वारा
पिगत दिनांक एक आदेश प्रस्तुत
करते हुए अपने पेटक जमीन के
बटवारे को लेकर परिवार पत्र दाखिल
किया गया था। तदुपरान्त अ. अ. देवरी
को जोप प्रतिवेदन की मांग की गई थी।
जोप प्रतिवेदन प्राप्त हुई है।

अतः सभी संबंधित पक्षों को
नोटिस गिरात करें एवं अपने पक्ष
में संबंधित कागजात प्रस्तुत करने
के लिये दि. ३०/१२/११ को उपस्थित होने
का निर्देश गिरात किया जा रहा है।
अभिलेख ३०-१२-११ को उपस्था
पित करें।


भूमि सुधार उपसमाहता
चिट्ठी

| आदेश की तिथि | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई |
|--------------|---|------------------------|
| 15.03.18 | <p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>प्रथम पक्ष के आवेदन से प्रतीत होता है कि यह मामला उत्तराधिकार, नामांतरण एवं पंजी-11 के अपडेशन से संबंधित है। इसके लिए अंचल अधिकारी सक्षम पदाधिकारी है।</p> <p>अंचल अधिकारी, देवरी को अभिलेख वापस करते हुए निदेश दिया जाता है कि Bihar (Jharkhand) Residential Holding (Maintenance Of Land Reform Act.) के प्रावधानों के अनुरूप तीन माह के अंदर नियमानुसार मामले का निष्पादन करें।</p> <p style="text-align: right;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, झोरीमहुआ। </p> | |